वाणिज्यिक न्यायालय, न्यायालय सं0–2, मेरठ।

पीठासीन अधिकारी–अशोक कुमार, (उच्चतर न्यायिक सेवा),

मूल वाद सं0–315 सन 2022

CNR N0. UPME190026682022

केनरा बैंक निगमित निकाय, गठित अन्तर्गत बैंकिगं कम्पनियाँ (उपक्रम का अधिग्रहण और हस्तान्तरण), अधिनियम 1970 जिसका प्रधान कार्यालय 112 जे0 सी0 रोड, बेंगलुरू तथा जिसकी अन्य शाखाओं में से एक शाखा केसरगंज, जिला मेरठ।

–––––––– वादी बैंक।

बनाम

1. श्रीमती मुन्दर पत्नी श्री विजय पाल निवासी ग्राम इकडी, तहसील सरधना जिला मेरठ।

2. श्री नरेश पुत्र श्री जगदीश, इन्द्रा कालोनी, सूरज कुण्ड रोड, मेरठ।

–––––––प्रतिवादीगण।

अधिवक्ता का नाम – श्री कमल भार्गव, एडवोकेट।

<u>निर्णय</u>

1. प्रस्तुत वाद वादी बैंक द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध अन्तर्गत आदेश 37 सिविल प्रक्रिया संहिता अंकन रू0 4,99,456.73 पैसे व दिनांक 01.12.2021 से भुगतान की तिथि तक 13.55 प्रतिशत वार्षिक की वसूली हेतु संस्थित किया गया है।

2. वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का सार संक्षेप में कथन इस प्रकार है कि वादी एक बैंक है, जो बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम 1970 के तहत गठित है, जिसका प्रधान कार्यालय 112, जे०सी०रोड, बेगलूरू में है, और अन्य शाखाओं के साथ–साथ पल्लवपुरम, तहसील सरधना, जिला मेरठ में एक शाखा कार्यालय है।

प्रस्तुत वाद योजित करते समय श्री प्रवीण कुमार वादी बैंक की उक्त शाखा के मुख्य प्रबन्धक एवं प्रधान अधिकारी थे जिनको उक्त वाद को हस्ताक्षरित करने और सत्यापित करने का पूर्ण अधिकार वादी बैंक द्वारा प्रदान किया गया था।

दिनांक 09 दिसम्बर 2011 को श्री रविन्द्र ने घरेलू जरूरत के लिए वादी बैंक से अंकन 1,20,000/– रूपये ऋण प्राप्त किया।

उक्त ऋण अंकन 2,646/– रूपये मासिक की 60 किस्तों में वापस किया जाना तय पाया गया तथा जिसपर ब्याज दर 15.5 प्रतिशत तथा ऋण अदा न किये जाने की स्थिति में 02 प्रतिशत दण्ड ब्याज सहित अदा किया जाना तय पाया गया।

नियम एवं शर्तो के अन्तर्गत श्री रविन्द्र द्वारा दिनांक 09.12.2011 को सामन्य अनुबन्ध पत्र उक्त ऋण के सम्बन्ध में पारित करते हुए ऋण प्राप्त किया गया।

प्रश्नगत ऋण के सम्बन्ध में श्री रविन्द्र द्वारा प्रतिवादी सं० 2 को गारन्टर के रूप में प्रस्तुत किया गया तथा उक्त ऋण की अदायगी का भार श्री रविन्द्र व प्रतिवादी सं० 2 का संयुक्त एवं पृथक–पृथक रूप से है जिसके सम्बन्ध में प्रतिवादी सं० 2 द्वारा एक गारंटी प्रपत्र दिनांक 09.12.2011 को निष्पादित किया गया।

इस दौरान श्री रविन्द्र का देहान्त हो गया जिसने अपनी मृत्यु पर अपनी माता श्रीमती मुन्दर प्रतिवादी सं० 1 को बतौर उत्तराधिकारी के रूप में छोड़ा तथा श्रीमती मुन्दर व प्रतिवादी सं० 2 उक्त ऋण की अदायगी के संयुक्त एवं पृथक–पृथक रूप से उत्तरदायी हुए।

प्रतिवादी सं० 1 द्वारा दिनांक 20.05.2015 को एकनालिजमेन्ट आफ डेब्ट समस्त सुविधाओं के सम्बन्ध में निष्पादित किया गया।

प्रतिवादीगण द्वारा बैंक के नियम व शर्तो के अनुसार ऋण की अदायगी नहीं की गयी जिस कारण वाद योजित किया गया।

प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 02.03.2013 व 28.01.2016 को उक्त खातों में भुगतान किया गया।

प्रतिवादी ने दिनांक 20.05.2015 व 18.05.2018 को एकनालिजमेन्ट आफ डेब्ट फार आल टाइप आफ फैसिलिटी व दिनांक 08.05.2021 को एकनालिजमेन्ट आफ डेब्ट एवं सिक्योरिटी भी बैंक के हक में निष्पादित किया था।

प्रतिवादीगण की तरफ वादी बैंक के अंकन 4,99,456.73 पैसे बकाया रहे जिस पर वादी बैंक प्रतिवादीगण से दिनांक 01.12.2021 से 13.55t प्रतिशत वार्षिक ब्याज मासिक अन्तराल पर पाने का भी अधिकारी है।

3. प्रतिवादीगण के न्यायालय में उपस्थित न आने पर दिनांक 03.10.2025 द्वारा वाद की कार्यवाही प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय रूप से अग्रसारित की गयी।

4. वादी की ओर से सूची 8ग से पावर आफ एटार्नी श्री प्रवीन कुमार की प्रमाणित प्रति, सामान्य अनुबन्ध पत्र दिनांकित 09.12.2011, रसीद दिनांकित 09.12.2011, गारंटी अनुबन्ध पत्र दिनांकित 09.12.2011, एकनालिजमेन्ट आफ डेब्ट फार आल टाइप आफ

फैसिलिटी दिनांकित 20.05.2015, प्रतिवादी सं० 1 का पत्र दिनांकित 20.05.2015, एकनालिजमेन्ट आफ डेब्ट एवं सिक्योरिटी 08.05.2018, अग्रिम हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 29.1.2011, सूचना पत्र दिनांकित 17.04.2020 की छाया प्रति, डाकखाना रसीद, सूचना पत्र दिनांकित 26.12.2021 की छाया प्रति, डाकखाना रसीदें, रोमन सामान्य अनुबन्ध पत्र प्रपत्र सं0 9ग लगायत 23ग प्रस्तुत किये गये हैं तथा संतोष कुमार राठी मुख्य प्रबन्धक केनरा बैंक शाखा केसरगंज, मेरठ का शपथपत्र 37ग दाखिल किया गया।

5. मैंने वादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रलेखीय साक्ष्य का परीशीलन किया।

6. वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि उपर्युक्त वाद वादी ने अंकन 4,99,456.73 पैसे मय ब्याज दौरान वाद व आगामी ब्याज दिनांक 01.12.2021 से 13.55 प्रतिशत वार्षिक की दर से से वसूली हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 03.03.2022 को योजित किया था।

7. श्री रविन्द्र द्वारा दिनांक 09.12.2011 को घरेलू जरूरत के लिए वादी बैंक से अंकन 1,20,000/– रूपये ऋण प्राप्त किया गया तथा उक्त ऋण 60 मासिक किस्तों में अंकन 2646/– रूपये प्रतिमाह की किस्तों में अदा किया जाना तय पाया गया तथा उक्त ऋण के सम्बन्ध में श्री रविन्द्र द्वारा एक सामान्य अनुबन्ध पत्र भी वादी बैंक के पक्ष में निष्पादित किया गया तथा प्रतिवादी सं० 2 को जमानती के रूप में प्रस्तुत किया गया तथा प्रतिवादी सं० 2 द्वारा गारंटीनामा भी वादी बैंक के पक्ष में निष्पादित किया गया।

उक्त वाद योजित किये जाने से पूर्व श्री रविन्द्र की मृत्यु हो गयी तथा जिसने अपनी मृत्यु पर अपनी माता श्रीमती मुन्दर को उत्तराधिकारी के रूप छोड़ा गया। श्री रविन्द्र की माता जी द्वारा दिनांक 02.03.2017 व 28.01.2016 को उक्त ऋण खाते में भुगतान किया गया।

उक्त ऋण के सम्बन्ध में श्री रविन्द्र व प्रतिवादी सं० 2 द्वारा आवश्यक पत्र भी निष्पादित किये गये। पक्षकार ऋण अनुबन्ध पत्र में लिखित शर्तो के अनुसार पाबंद हैं। प्रतिवादीगण द्वारा ऋण की अदायगी में व्यतिक्रम किया गया और प्रतिवादीगण ने बकाया ऋण राशि को अदा करने में चूक व लापरवाही की है।

8. प्रतिवादीगण को न्यायालय द्वारा नोटिस प्रेषित किये गये तथा जिसकी प्रतिवादीगण को तामील हो गयी थी। माननीय न्यायालय से नोटिस के तामील होने के 10 दिन के अन्दर वाद में प्रतिरक्षा करने की न्यायालय में शपथपत्र देकर प्रतिवादीगण को अनुमति लेनी थी तथा अनुमति के पश्चात ही प्रतिवादपत्र दाखिल करना था लेकिन प्रतिवादीगण ने कोई प्रतिवादपत्र दाखिल नहीं

किया और न ही न्यायालय से कोई प्रतिरक्षा (Leave to Defend) की अनुमति इस वाद में ली। न्यायालय द्वारा दिनांक 03.10.2025 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय सुनवाई का आदेश पारित किया गया।

9. वाद के कथनों के समर्थन में वादी बैंक के द्वारा पावर आफ एटार्नी श्री प्रवीन कुमार की प्रमाणित प्रति, सामान्य अनुबन्ध पत्र दिनांकित 09.12.2011, रसीद दिनांकित 09.12.2011, गारंटी अनुबन्ध पत्र दिनांकित 09.12.2011, एकनालिजमेन्ट आफ डेब्ट फार आल टाइप आफ फैसिलिटी दिनांकित 20.05.2015, प्रतिवादी सं० 1 का पत्र दिनांकित 20.05.2015, एकनालिजमेन्ट आफ डेब्ट एवं सिक्योरिटी 08.05.2018, अग्रिम हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 29.1.2011, सूचना पत्र दिनांकित 17.04.2020 की छाया प्रति, डाकखाना रसीद, सूचना पत्र दिनांकित 26.12.2021 की छाया प्रति, डाकखाना रसीदें, रोमन सामान्य अनुबन्ध पत्र प्रपत्र सं0 9 ग लगायत 23 ग प्रस्तुत किये गये, जिनसे वादी बैंक का वाद साबित है। वादी द्वारा अनुरोध किया गया है कि वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध डिक्री की जाए।

10. वादी के तर्को व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत वाद प्रतिवादीगण द्वारा वादी बैंक से वित्तीय सुविधा के सम्बन्ध में किये गये करार तथा उभय पक्ष के मध्य हुए करार के भंग के कारण ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण योजित किया गया। वाद समय सीमा के अन्तर्गत है। पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया गया है। बकाया धन की वसूली के सम्बन्ध में वाद योजित किया गया है। वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 की धारा 6 सपठित धारा 16 के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत वाद वाणिज्यिक न्यायालय में परीक्षणीय है तथा इस न्यायालय को इस वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

11. पत्रावली पर प्रस्तुत प्रलेखीय साक्ष्य से स्पष्ट है कि सामान्य अनुबन्ध पत्र दिनांकित 09.12.2011, रसीद दिनांकित 09.12.2011, गारंटी अनुबन्ध पत्र दिनांकित 09.12.2011, एकनालिजमेन्ट आफ डेब्ट फार आल टाइप आफ फैसिलिटी दिनांकित 20.05.2015, प्रतिवादी सं० 1 का पत्र दिनांकित 20.05.2015, एकनालिजमेन्ट आफ डेब्ट एवं सिक्योरिटी 08.05.2018, अग्रिम हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 29.1.2011, निष्पादित किये जो पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय साक्ष्य से सिद्ध हैं जिनकी पुष्टि वादी बैंक के प्रबन्धक संतोष कुमार राठी के द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथपत्र 37 ग से होती है। वादी द्वारा प्रस्तुत अभिकथन व साक्ष्य के खण्डन में प्रतिवादीगण के द्वारा कोई साक्ष्य या अभिकथन प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे वादी का कथन व साक्ष्य अखण्डनीय है, जिसपर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। इसलिए वादी बैंक वांछित आज्ञप्ति पाने का अधिकारी है।

12. उपर्युक्त तथ्यों एवं साक्ष्य के विश्लेषण के आधार पर प्रस्तुत मामले में प्रतिवादीगण द्वारा वादी बैंक को नियमित भुगतान नहीं किया गया।

13. अतः इन परिस्थितियों में वादी बैंक ऋण धनराशि अंकन 4,99,456.73 पैसे दौरान वाद व आगामी ब्याज हेतु दिनांक 01.12.2021 से 13.55 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर सहित प्राप्त करने का अधिकारी है, जिसकी अदायगी का उत्तरदायित्व प्रतिवादीगण पर है।

तदनुसार वाद आज्ञप्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

वादी का वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध सव्यय आज्ञप्त किया जाता है।

प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि वादी को ऋण धनराशि अंकन 4,99,456.73 (चार लाख निन्यानबे हजार चार सौ छप्पन रूपये तिहत्तर पैसे) तथा दिनांक से 13.55 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से दो माह के मध्य अदायगी करे।

वादी को अधिकार होगा कि वह न्यायालय के माध्यम से डिक्री की धनराशि वसूल कर ले।

तदनुसार डिक्री तैयार की जाए।

पत्रावली आवश्यक कार्यवाही के पश्चात् विधिनुसार अभिलेखागार संचित की जाए।

दिनांक 06.03.2026

(अशोक कुमार) ,
पीठासीन अधिकारी,
वाणिज्यिक न्यायालय कक्ष सं0–2, मेरठ।
जे0 ओ 0 नं0–यू0 पी0–5988

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित होकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक 06.03.2026

(अशोक कुमार) ,
पीठासीन अधिकारी,
वाणिज्यिक न्यायालय कक्ष सं0–2, मेरठ।
जे0 ओ 0 नं0–यू0 पी0–5988

This is uncertified copy for information please refer to certified copy only.